कार्यालय अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन वर्धन),ग्रास फार्म नर्सरी, जयपुर–302012

क्रमांक एफ( ) विकास/अप्रमुवसं/सिल्वा/2015–16/ दिनांकः–

निमित्त,

मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/कोटा/उदयपुर/अजमेर/जोधपुर/भरतपुर/बीकानेर
मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/भरतपुर/कोटा
मुख्य वन संरक्षक परियोजना, जयपुर/कोटा

विषयः– नवीन पौधशाला स्थापना के दौरान मिट्टी व जल का परीक्षण तथा उन्नत किस्म के बीज एकत्रिकरण/क्रय के सम्बन्ध में दिशा निर्देश बाबत।

संदर्भः–प्रधान मुख्य वन संरक्षक जयपुर के पत्र क्रमांक एफ2(14)/87/विकास/मुवसं/8251 दिनांक 1805.1987, पत्र क्रमांक एफ 4 (27) रिसर्च/परि.सू.मू./वसं/90–91/2392 दिनांक 09.11.1990 एवम् वन वर्धन अधिकारी जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ ( ) तकनीकी / सिल्वा / 93–94/737दिनांक 7.4.2000 व परिपत्र क्रमांक एफ ( )तकनीकी/सिल्वा/93–94/3519 दिनांक 4.11.1993

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र/परिपत्र की प्रति संलग्न कर लेख है कि आपके अधीन क्षेत्राधिकार में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत नवीन पौधशालाओं की स्थापना से पूर्व मिट्टी व जल का परीक्षण उक्त परिपत्रों में उल्लेखित विधि अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है इसके अतिरिक्त पौधशालाओं में पौध तैयारी एवम् वृक्षारोपण क्षेत्र में बीजारोपण हेतु बीज क्रय अथवा बीज एकत्रिकरण का कार्य इस कार्यालय अधीन स्थापित बीज परीक्षण प्रयोगशाला के सत्यापन उपरान्त ही एकत्रीकरण/क्रय किया जाना युक्ति संगत रहता है। इस सम्बन्ध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय द्वारा सामयिक दिशा निर्देश प्रसारित किये गये है जों लेखा नियमों के अनुरूप भी है। वन अधिकारियों को त्वरित जानकारी हेतु उक्त दिशा निर्देशों का संक्षिप्त विवरण पुनः प्रसारित किया जा रहा हैः–

1. नवीन पौधशालाओं हेतु स्थान चयन से पूर्व उक्त स्थान की मिट्टी व जल का परीक्षण प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार(प्रति संलग्न) इस कार्यालय के माध्यम से अथवा जिला में स्थापित कृषि विज्ञान केन्द्र से करवाया जाना सुनिश्चित किया जावें तत्पश्चात् ही नवीन पौधशाला स्थापित किया जाना उचित होगा।
2. विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पौध तैयारी/संधारण, बीजारोपण एवम् वृक्षरोपण हेतु बीज क्रय किये जाने से पूर्व इस कार्यालय का अनआपत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है तत्पश्चात् ही सम्बन्धित उप वन संरक्षक गण द्वारा बीज क्रय/बीज एकत्रीकरण की कार्यवाही सम्पादित की जाना उचित होगा।
3. प्रायः यह देखने में आ रहा है कि कतिपय वन मण्डल द्वारा उक्त प्रक्रिया के अनुरूप बीज क्रय नहीं किया जा रहा है जो वानिकी तकनिकी दृष्टि से युक्ति संगत नहीं है। इस कार्यालय में बीज अनुपलब्धता के आधार पर बीज क्रय हेतु अनआपत्ति प्रमाण–पत्र उपरान्त वित एवम् लेखा नियम के अन्तर्गत बीज क्रय की कार्यवाही सम्पादित करने एवं क्रय/एकत्रित किये गये बीज के प्रमाणिकरण हेतु इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक एफ ( ) तकनीकी /सिल्वा/93–94/737 दिनांक 7.04.2000

(प्रति संलग्न) द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार विशेष वाहक के माध्यम से शीध्र अतिशीध्र उक्त बीज का नमूना इस कार्यालय को तत्काल भिजवाने हेतु सम्बन्धित उप वन संरक्षक को निर्देशित करते हुए उक्त कय/एकत्रित किये गये बीज के प्रमाणिकरण उपरान्त उक्त बीज की जीवित प्रतिशतता के आधार पर ही कय/एकत्रित किये गये बीज का भुगतान किये जाने हेतु सम्बन्धित उप वन संरक्षक गण को पाबन्द करने का कष्ट करें।

4. इस कार्यालय को यह भी अवगत कराने का कष्ट करें कि प्रतिवर्ष आपके अधीन उप वन संरक्षक गण द्वारा किस–किस प्रजाति के बीज कय किये जाते है ताकि उक्त प्रजाति के बीज इस कार्यालय द्वारा चिन्हित " बीज उत्पादन क्षैत्र" (S.P.A.) से यथासमय उन्नत किस्म के वानिकी बीज एकत्रित करवाये जा सकें एवम् सम्बन्धित उप वन संरक्षकगण की मांग अनुसार बीज उपलब्ध कराया जा सके।

त्वारित जानकारी हेतु इस कार्यालय द्वारा अधिसूचित बीज उत्पादन क्षैत्र की सूचि संलग्न प्रेषित की जा रही हैं। यदि आप उक्त बीज उत्पादन क्षैत्र के अतिरिक्त किसी अन्य क्षैत्र को बीज उत्पादन क्षैत्र घोषित करवाना उचित समझते है तो उस क्षैत्र का नाम, वन खण्ड, क्षैत्रफल, नक्शा मय जी. पी.एस. रीडिंग तथा बीज प्रजाति जिसका एकत्रिकरण किया जाना प्रस्तावित हैं आदि सम्पूर्ण विवरण भिजवाने हेतु उप वन संरक्षक गण को निर्देशित करने का कष्ट करें। उल्लेखनीय है कि प्रस्तावित बीज उत्पादन क्षैत्र के वृक्ष उन्नत किस्म, प्लस ट्री, क्लीन बोल (Clean bole) तथा स्वस्थ एवं सघन छाया वाले पौधों का दृष्टिगत रखा जाना आवश्यक है। अतः नवीन बीज उत्पादन क्षैत्र की सूचना प्राथमिकता से इस कार्यालय को भिजवायें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीया,

sd/-

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(वन वर्धन) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ( ) विकास/अप्रमुवसं/सिल्वा/2015–16/2191-93 दिनांकः– 5/8/15

प्रतिलिपि

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (T.R.E.E.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. उप वन संरक्षक ..... को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।
3. प्रभारी, कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

5/8/15.

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(वन वर्धन) राजस्थान, जयपुर

कार्यालय वन वर्धन अधिकारी, राजस्थान ग्रास फार्म नर्सरी, खातीपुरा रोड, जयपुर–12 का परिपत्र क्रमांक एफ( ) तकनीकी/सिल्वा/93–94/737 दिनांक 7.4.2000

विषयः– बीज परीक्षण।

इस कार्यालय के अधीन ग्रास फार्म पौधशाला पर एक बीज परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित है, जहां वन्य प्रजातियों के बीजों के परीक्षण की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। जिन बीजों का उपयोग पौधशालाओं एवं वृक्षारोपण में किया जाता है, उनका परीक्षण इस प्रयोगशाला में कराया जा सकता है। परीक्षण हेतु बीज का नमूना भिजवाने सम्बन्धी प्रक्रिया विस्तृत रूप से बताई गई है। इस प्रक्रिया के अनुसार बीज का नमूना तैयार करके कपड़े की थैली में बन्द करके सील किया जाना चाहिए तथा आर्द्रता प्रतिशत हेतु एक बीज का नमूना (बड़े बीजों के लिये 100 ग्राम एवं बारीक बीजों के लिए 50 ग्राम का) अलग से पोलिथिन की थैली में बन्द करके उसके ऊपर पता लिखा जावें। हर एक बीज के लोट में से नमूने के दो सैट तैयार करके एक परीक्षण के लिये यहां भेजे तथा दूसरा अपने पास सुरक्षित रखें। बीज के नमूने के साथ बीज सम्बन्धी सूचनायें भी थैली में दो प्रतियों में रखायें। बीज परीक्षण प्रतिवेदन बीज का नमूना प्राप्ति के 30 दिवस से पहले भिजवाना सम्भव नहीं होगा।

मण्डल वन अधिकारियों को यह सलाह दी जाती है कि वे बीज क्रय करने से पहले बीज का नमूना परीक्षण हेतु अवश्य भेजें जिससे परीक्षण की सत्यता उपरान्त बीज खरीदने पर समय व धन के अपव्यय को प्रारम्भ में ही रोका जा सकें।

सर्वोतम बीजों की जानकारी पाने के लिये बीजों के नमूने भेजियेंः–

बीज परीक्षण में नमूना लेने का महत्वः–

बीज परीक्षण तकनीकी विकसित करने का मुख्य उद्देश्य वनोपयोगी बीजों के बारे में समस्त मूलभूत जानकारी प्रदान कर वानिकी उपज को बढ़ाने एंव आने वाले खतरों से बचाना है। उन्नत किस्म का अच्छा बीज वानिकी उपज बढाने वाले महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। आंखों से देखकर बीज की अच्छी या घटिया किस्म का फैसला करना कठिन है। इसका फैसला केवल बीज की शुद्धता, जीवन–क्षमता, नमी और बीमारियों एवं कीट प्रतिरोधक तत्वों की परीक्षा करके ही किया जा सकता है। इस प्रकार की परीक्षा के लिये विशेष रूप से साधन सज्जित प्रयोगशाला उपलब्ध है।

बीज से सारे ढेर की इन लक्षणों की दृष्टि से परीक्षा करना न तो भौतिक दृष्टि से सम्भव है और न क्रियात्मक ही। बीज के इन गुणों की परीक्षा ढेर में से एक नमूना लेकर की जा सकती है, जो सारे ढेर का प्रतिनिधि रूप हो। इन नमूने पर किये गये परीक्षणों के आधार पर सारे बीज का मूल्यांकन बोने व बिक्री की दृष्टि से किया जा सकता है यदि नमूना पूरी सावधानी बरते लिया गया होगा तो उसके परिणाम विश्वसनीय नहीं होंगे और परीक्षण में खर्च किया गया समय और प्रयत्न दानों व्यर्थ हो जायेंगे।

नमूना कैसे लेंः–

बीज का नमूना हाथ का उपयोग करके लिया जा सकता है। हाथ जब बीज के ढेर में डाला जाये तब मुट्ठी बन्द होनी चाहिए। ढेर के भीतर पहुंचने पर मुट्ठी को खोल दिया जाना चाहिए ताकि बीज मुट्ठी में इकट्ठा किया जा सके और फिर भरी मुट्ठी को कस भींच लेना चाहिए जिससे कि कोई बीज बाहर न निकल सकें। बीज के नमूने लेने के लिए बाजार में परखियां मिलती हैं और जब वे उपलब्ध हों, तो उन्हीं का उपयोग किया जाना चाहिए।

ढेर में से हाथ से या अलग–अलग परखियों से निकाले गये नमूनों को बाल्टी में इकट्ठा करें तथा अच्छी तरह से मिलायें तथा कपड़े की दो थैलियों में बन्द करें और एक कागज का लेबल जिस पर बीज के ढेर के बारे में विस्तृत सूचना दी गयी हो, थैले के बीज में डाल दिया जावें।

तिथि ..... नमूना लेने वाले का नाम .....
भेजने वाले का नाम .....
पता .....
नाम प्रजाति .....
नमूने का परिचय या .....
ढेर का नम्बर .....
ढेर में बीज की मात्रा ..... /कि.ग्रा.
किस परीक्षा की आवश्यकता है, कृपया निशान लगाइयेः–
शुद्धता अंकुरण नमी
टिप्पणी .....

बीज का नमूना कैसे लिया जावेः–

बोरियों से नमूना लेने की विधि :– नमूना लेने से पूर्व व्यक्ति को बोरियों के लेबल या निशान अच्छी तरह देख लेने चाहिए ताकि उसे निश्चय हो जाये कि सारे ढेर में कौन–कौन सी बोरियां हैं? इसके बाद इन सुझावों पर अमल किया जाना चाहिए :–

1. ढेर में बोरियों की संख्या मालूम कीजिए।
2. जिन बोरियों या पात्रों से नमूना लिया जाये उनमें से उनकी समान मात्रा ली जाये।
3. ढेर के सभी हिस्से पहुॅच के भीतर होने चाहिए और उन सभी से नमूना लिया जाना चाहिए।
4. नमूने के लिए चुनी जाने वाली बोरियों की संख्या :–

ढेर में बोरियों की संख्या	नमूने के लिये चुनी जाने वाली बोरियों की संख्या
1 से 15 तक	हरेक बोरी
16 से 30 तक	हर तीसरी बोरी, किन्तु कुल बोरियां पांच से कम नहीं
30 या इससे अधिक	हर पांचवीं बोरी, किन्तु कुल बोरियां दस से कम नहीं

5. रौंझ, सूलिया बबूल, बांस, सफेदा, खेजड़ी, पीलू आदि सुप्रवाही बीजों के लिए परखी को उसका खुला खांचा नीचे की ओर करके बोरी के एक कोने से अन्दर डालिये। परखी को बोरी में एक कोने से दूसरे कोने तक विकर्ण रूप में डालिये। अन्दर डालने के बाद परखी को घुमा कर उसका खांचे वाला भाग ऊपर कर दीजिये जिससे बीज सीधे उसकी नली में चले जायें। परखी को खींच कर बाहर निकाल लीजिये और उसके बीजों को देखकर परख कीजिये कि उसका बीज ढेर की अन्य सब बोरियों से निकलने वाले बीज से मिलता है। फिर बीजों को पात्र में डाल दीजिये और जहां–तहां से चुनी गयी अन्य बोरियों पर यही तरीका आजमाइए।
6. नमूना लेने के बाद बोरियों या उनमें परखी से हुए छेदों को बन्द कर दीजिए। (अधिकतर जूट की बोरियों में परखी को उसकी बुनती के तारों के बीज से इस तरह भीतर डाला जा सकता है कि उसकी बुनती का धागा टूटे नहीं। इससे परखी डालने पर बने छेद को उसके धागों पर परखी की नोक 5–6 दफा फेर कर बन्द किया जा सकता है।)
7. जो बीज सुप्रवाही नहीं है, जैसे अरडू, शीशम, चुरेल, रोहिडा और चारे वाली घासों वाले बीज के नमूने हाथ से लिये जाने चाहिए।
8. नमूने को डाक से भेजने के लिये कपड़े की थैली में डालियें।

खुले बीज के ढेरों से नमूना लेने की विधि :

कनस्तरों, धानियों, ढेरों या इसी तरह के खुले पात्रों में रखे बीज का नमूना बीज में हाथ डालकर या एक कोण पर टेढ़ी लम्बी परखी डालकर लिया जा सकता है। ढेर में अलग–अलग कम से कम दस स्थानों से नमूना लिया जाना चाहिए ताकि वह उसका प्रतिनिधिक नमूना बन सकें।

बीज के ग्रेडर या क्लीनर से नमूना लेने की विधि :

जब बीजों को ग्रेडों (श्रेणियों) में छांटा या साफ किया जा रहा हो तब सफाई की सारी प्रक्रिया के दौरान थोड़ी–थोड़ी देर के बाद नियमित रूप से नमूने लेते रहने चाहिए। छंटे हुए बीज में हाथ या कोई अन्य पात्र डालकर थोडी–थोड़ी देर बाद में नमूने लेने चाहिए।

बीज के ढेर में से कितना नमूना परीक्षण के लिये भेजा जाये :

1. छोटे बीज (घास की बीज, सफेदा, शीशम, रोहिडा, अरडू, आंवला आदि) 250 ग्राम
2. बड़े बीज (बबूल, सूलिया बबूल, रीठा, बांस, खेजड़ी, कुमठा, रौंझ, खैर, अरण्डी, रतनजोत आदि) 500 ग्राम

नमूने के साथ भेजी जाने वाली सूचना :

नमूने के थेले में जो सूचना डाली और नमूने के साथ भेजी जाये, वह नीचे दी जा रही है :–

तिथि ..... नमूना लेने वाले का नाम .....
भेजने वाले का नाम .....
पता .....
बीज कहां से एकत्रित किया गया .....
नाम प्रजाति .....
नमूने का परिचय या .....
ढेर का नम्बर .....
ढेर में बीज की मात्रा ..... /कि.ग्रा.
किस परीक्षा की आवश्यकता है, कृपया निशान लगाइयेः–
शुद्धता अंकुरण नमी
टिप्पणी .....

नमूने को संभालने की विधि

इस तरह कपड़े के थैले में इकट्ठा किया नमूना पैक कर अच्छी तरह सिल दिया जाना चाहिए। नमूने को नमी, धूल और अन्य ऐसी वस्तुओं से जो उसके गुणों पर असर डाल सकती है, बचाने के लिए पूरी सावधानी बरती जानी चाहिए। यदि नमी की परीक्षा करानी हो तो 100 ग्राम का एक नमूना अलकेधीन की थैली में बन्द कर मुख्य नमूने वाले कपड़े के थैले में डाल देना चाहिए। बीज के नमूने की दो थैली तैयार की जाये, एक भेजने वाला अपने पास सुरक्षित रखे तथा दूसरी थैली परीक्षण के लिये बीज परीक्षण प्रयोगशाला में भेज दें। पैकेज (थैली) पर स्याही से स्पष्ट और सुपाठ्य रूप से कार्यालय/बीज परीक्षण प्रयोगशाला का पता लिखा जाना चाहिए। इसके बाद यह नमूना तुरन्त ही डाक पार्सल द्वारा रवाना कर दिया जाना चाहिए।

हस्ताक्षर/–

वन वर्धन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर

OFFICE OF THE CHIEF CONSERVATOR OF FORESTS
RAJASTHAN, JAIPUR

No. F. 21(19)87/Dev./CCF/8251/ Jaipur, the 18th May, 87

CIRCULAR

The Forest Department is presently raising large scale plantations in the state both by planting saplings as well as by seeding and also raising large number of saplings for distribution to the public. At present seeds of various tree spp. Used in the nurseries and plantations are collected locally. In order to raise plantations of good quality, it is necessary that the plant material is raised from seeds corrected from plus trees standsing ir selected seed production areas. The Silviculturist, Rajasthan has identified such seed sources and has starueds collecting seeds plus trees for serval spp. Raised in the state.

Hence it is presorioed that seeds used in nurseries for raising seedlings would henceforth be obtained from Silviculturist Rajasthan, Jaipur. Seeds used for sowing in plantations may be continued to be collected locally but from good tree stands. The Silviculturist would also obtain seeds of exotic spp. From other states as well as from firms of repute for propagation purposes and supply them to the plantation divisions after testing their germination percenatage. The Silviculturist will notify the availability of seeds of various spp. With him from
Time to time to all forest officers.

CHIEF CONSERVATOR OF FORESTS
RAJASTHAN, JAIPUR

No. F. 21(19)87/Dev./CCF/8252-375/ Jaipur, the 18th May, 1987

Copy forwarded to all Forest officers for information and guidance.

Copy forwarded to Silvicuturist, Rajasthan, Jaipur

CHIEF CONSERVATOR OF FORESTS
RAJASTHAN, JAIPUR

कार्यालय, वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ. 4 (27) रिसर्च/परि.सू.मू./वसं/90–91/2392 दिनांक 9.11.1990

परिपत्र

मुख्य वन संरक्षक (विकास) राजस्थान, जयपुर द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र संख्या एफ. 21(9)89/आयो.प्रमुवसं/1321 दिनांक 18.08.1990 में संशोधन करते हुये निम्न प्रकार से निर्देश जारी किये जाते है।

समस्त वन अधिकारीगण केवल निम्न प्रजातियों के बीजों की मांग आवश्यकता अनुसार मात्रा में उप वन संरक्षक (अनुसंधान) सामाजिक वानिकी ग्रास फार्म नर्सरी, खातीपुरा रोड़, जयपुर से करें। इस कार्यालय में इन प्रजातियों के बीज यदि उपलब्ध नहीं हो तो अनुपलब्धता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही बीजों को खरीद अन्य स्त्रोत से करें।

क्र.सं.	नाम प्रजाति
1	खैर
2	बबूल
3	एकेशिया टोटलिस
4	अरडू
5	शीशम
6	सफेदा
7	खेजड़ी
8	रोहिड़ा
9	कुमठा

उपरोक्त प्रजातियों के बीज के अतिरिक्त अन्य प्रकार की प्रजातियों की बीज पूर्व की भांति अपने स्तर से प्राप्त करने की व्यवस्था करें।

मुख्य वन संरक्षक
(विकास) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ. 4 (27) रिसर्च/परि.सू.मू./वसं/90–91/2393–2492 दिनांक 9.11.1990

प्रतिलिपिः– समस्त वन अधिकारीगणों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

मुख्य वन संरक्षक
(विकास) राजस्थान, जयपुर